वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 98/2025 **दिनांक- 15.03.2025**

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक-15.03.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

होली त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराने के उपरान्त आज आजमगढ़ पुलिस द्वारा खेली गयी होली, श्रीमान मंडलायुक्त महोदय, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़, श्रीमान जिलाधिकारी आजमगढ़ व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा एक दूसरे को रंग गुलाल लगा कर दी गयी बधाई

आज दिनांक- 15.03.2025 को होली पर्व के दूसरे दिन पुलिस लाइन, आजमगढ़ में धूमधाम से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें श्रीमान मंडलायुक्त महोदय, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ , श्रीमान जिलाधिकारी आजमगढ़, व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना, अपर पुलिस अधीक्षक नगर, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सर्किल के समस्त क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी ,प्रतिसार निरीक्षक व पुलिस के अन्य अधिकारी/ कर्मचारीगण द्वारा एक दूसरे पर फूलों की बारिश कर एवं अबीर-गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं एवं बधाई दी गयी।

01.थाना-मुबारकपुरः-अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 14.03.2025 को चौकी प्रभारी बनकट उ0नि0 धर्मराज यादव मय हमराह द्वारा एक व्यक्ति अनुराग पुत्र जयराम निवासी ग्राम छिछोरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ उम्र 19 वर्ष को बनकट से फुलवरिया जाने वाले मार्ग पर निर्माणाधीन प्राइवेट अस्पताल के सामने से समय करीब 19.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 107/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 107/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

बरामदगीः-

01. एक अदद तमंचा .315 बोर
02. एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

02.थाना- गंभीरपुर:- शातिर पशु तस्कर तथा थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीसीटर अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 15.03.2025 को उपनिरीक्षक सिंधीलाल सोनकर मय हमराह द्वारा शातिर पशु तस्कर तथा थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त रिंकू यादव पुत्र रामचंद्र यादव निवासी बेलवारपार थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ उम्र 26 वर्ष को अब्दुल्लापुर से उगाये खड़ंजा रास्ते के पास से समय करीब 11:40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 75/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 75/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ

बरामदगीः-

01. एक अदद तमंचा .315 बोर

02. एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।

आपराधिक इतिहास:-

01. मु0अ0सं0 75/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 345/22 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम वी 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़।

3. मु0अ0सं0 180/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़।

4. मु0अ0सं0 359/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़।

5. मु0अ0सं0 181/21 धारा 5ए/8 गोवर्धन निवारण अधिनियम वी 429 भादवि थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।

6. मु0अ0सं0 128/23 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।

7. मु0अ0सं0 271/20 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम वह 332, 333 भादवि थाना लार जनपद देवरिया।

8. मु0अ0सं0 307/24 धारा 3/5ए/8 गोवर्धन निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम वह 325 बीएनएस थाना खुखुंदू जनपद देवरिया।